



बिहार सरकार
कृषि विभाग

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), अरवल

कृषि उन्नति योजना अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पद का विवरण निम्नवत् है-

क्र.सं.	पद का नाम	नियत मानदेय (रु० में)	पद की सं०	उम्र	अनिवार्य योग्यता
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर (आत्मा योजना)	आत्मा मार्गदर्शिका 2025 के आलोक में राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित मानदेय के अनुसार	01 (एक)	37 वर्ष (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक अधिकतम) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० झापांक 294 दिनांक 07.01. 2016 के अनुरूप	स्नातक की डिग्री के साथ कम्प्यूटर संचालन का पूर्ण ज्ञान। कम्प्यूटर में 01 (एक) वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य।

नियोजन हेतु सामान्य सूचना-

- एकल पद होने के कारण पद अनारक्षित है।
- चयन प्रक्रिया- आवश्यकतानुसार शैक्षणिक योग्यता, दक्षता परीक्षा, कार्यानुभव के आधार पर चयन किया जाएगा।
- चयन प्रक्रिया का मापदंड जिला चयन समिति के स्तर से निर्धारित किया जाएगा।
- चयन में बिहार राज्य के निवासी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
- उम्र के सत्यापन हेतु मैट्रिक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- अन्य बातें समान रहने पर अधिकतम आयु के अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा।
- आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
- विज्ञापन के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों/अंकपत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- **संविदा पर नियोजन-** संविदा पर नियोजन, योजना अवधि तक अथवा अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक के लिए अथवा दोनों में से जो पहले हो, तक के लिए किया जाएगा परंतु प्रत्येक वर्ष संविदा कर्मी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के क्रम में यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसे कर्मी को कभी भी सेवाविमुक्त किया जा सकेगा।
- संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

My

- किसी भी कर्मी के उपर उनके पूर्व के संस्थानों/विभागों के द्वारा किसी प्रकार का आरोप/विभागीय कार्रवाई/न्यायालय द्वारा दंडित नहीं की गई हो से संबंधित शपथ-पत्र (पब्लिक नोटरी से शपथ कराकर) योगदान के समय कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय/नियत वेतन देय होगा।
- एकरारनामा एवं नियोजन से संबंधित अन्य सभी शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1003, दिनांक 22.01.2021 के अनुरूप मान्य होगा।

नियोजन हेतु समय-सीमा का निर्धारण

- आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2026 से 22.06.2026 को संध्या 05 बजे तक ही प्राप्त किया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- नियोजन हेतु काउंसिलिंग एवं दक्षता परीक्षा की तिथि: 01-03 जुलाई, 2026
- औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन की तिथि: 08 जुलाई, 2026
- आपत्तियों को प्राप्त करने की तिथि : 10-11 जुलाई, 2026
- आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन : 16 जुलाई, 2026

आवेदन भेजने का पता- परियोजना निदेशक, आत्मा, संयुक्त कृषि भवन, द्वितीय तल, अरवल (बिहार),
पिन-804401

आवेदकों के मेधा सूची हेतु मापदंड का निर्धारण अधिकतम अंक-100

(i). शैक्षणिक योग्यता- 85 अंक

(मैट्रिक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + इंटरमीडिएट में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत + स्नातक में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत/3) X 0.85

(ii). कार्य अनुभव- 10 अंक

(iii). बिहार में अवस्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राथमिकता के तौर पर ऐसे अभ्यर्थियों को 05 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा।


(iv). क्रमांक (i) से (iii) के योगफल में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर किया जाएगा।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक-

कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर अधिकतम 85 अंक देय होगा। ओ0जी0पी0ए0/सी0जी0पी0ए0 वाले अभ्यर्थियों का विश्वविद्यालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार प्रतिशत प्राप्तांक की गणना की जाएगी। इस प्रकार से प्रत्येक औसत प्रतिशत अंक के लिए 0.85 अंक देय होगा।

ख. कार्यानुभव के लिए अंक का निर्धारण- सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जायेंगे। अनुभव के लिए अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा-

- 01 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव- 02 अंक
- 02 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव- 04 अंक
- 03 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव- 06 अंक



- 04 पूर्ण वर्ष का कार्य अनुभव- 08 अंक
- 05 पूर्ण वर्ष एवं इससे अधिक का कार्य अनुभव- 10 अंक



नोट- भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन के सरकारी संस्थानों/संगठनों/वित्त पोषित संस्थानों यथा आइ0सी0ए0आर0, कृषि विज्ञान केन्द्र/आत्मा/कृषि, उद्यान, मत्स्य, पशु विज्ञान, डेयरी, वाणिकी, कृषि अभियंत्रण से संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आदि में अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को ही अनुभव में अधिभार अंक दी जाएगी।

ग. दक्षता जाँच परीक्षा-

- दक्षता जाँच जिला स्तर पर तकनीकी चयन समिति के समक्ष लिया जाएगा।
- उक्त पद के लिए कम्प्यूटर संचालन का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। कम से कम 25 शब्द/मिनट हिन्दी (Correct Words) में एवं 30 शब्द/मिनट अंग्रेजी (Correct Words) में कम्प्यूटर में टंकण आवश्यक है।
- दक्षता जाँच परीक्षा के लिए कोई अंक देय नहीं होगा किन्तु उत्तीर्णता अनिवार्य है।

घ. प्रतीक्षा सूची-रिक्त पद की संख्या का दो गुणा प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। किसी पद के अभ्यर्थी को अयोग्य पाए जाने, त्याग-पत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से वरीयता के आधार पर चयन का प्रस्ताव परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, आत्मा शासी परिषद के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा जिनके स्वीकृति के उपरांत संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन प्राधिकार निर्गत किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष तक वैध रहेगा।

विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रपत्र <https://arwal.nic.in> एवं <https://atmaarwal.com> पर देखा जा सकता है।


 जिला कृषि पदाधिकारी-सह-
 परियोजना निदेशक, आत्मा, अरवल।


12. कार्य अनुभव

पदनाम	नियोक्ता का नाम	अवधि कब से कब तक	अंतिम वेतन एवं भत्ता	पद छोड़ने का कारण

13. प्रमाण-पत्र एवं अनुलग्नकों की सूची अंकित करें।

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस फॉर्म में जो भी सूचना मेरे द्वारा भरी गई है वह सत्य एवं सही है। यदि कोई सूचना गलत या असत्य पाई जाती है तो इस आवेदन को रद्द कर दिया जाय, साथ ही मेरा/मेरी उम्मीदवारी एवं नियुक्ति को भी बगैर सूचना के अयोग्य घोषित कर दिया जाय।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर